क्रम-संख्या—596

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 मार्च, 1989

फाल्गुन 25, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 491/सत्रह–वि0–1–1 (क)–2/1989

लखनऊ, 16 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 16 मार्च 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1989)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

U. P. Ordinance No. 15 of 1988

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह 3 नवम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त, मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान अधिनियम, 1939 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा में, पद "प्रथम बिक्री" का तात्पर्य--

(क) मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और मेसर्स इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों की स्थिति में, उस प्रक्रम पर बिक्री से है जब उक्त व्यापारियों से भिन्न किसी व्यापारी को उत्तर प्रदेश राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की बिक्री ऐसे व्यापारी पहली बार करते हैं, और

(ख) किसी ऐसे अन्य व्यापारी की स्थिति में जिसने इस स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में नाम से निर्दिष्ट किसी भी व्यापारी से उक्त माल क्रय नहीं किया है, उस प्रक्रम पर बिक्री से है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की बिक्री ऐसा व्यापारी पहली बार करता है।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1988

3--(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 491(2)/XVII-V-1-1(KA)-2-1989
Dated Lucknow, March 16, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri-Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 1989.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. Act No. 6 of 1989)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 3, 1988.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 1 of 1939

2. In section 3 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), the following explanation shall be *inserted* at the end, namely :—

"*Explanation*—In this sub-section, the expression 'first sale' shall mean,—

(*a*) in case of dealers registered as Messrs Indian Oil Corporation Limited, Messrs Bharat Petroleum Corporation Limited, Messrs Hindustan Petroleum Corporation Limited and Messrs Indo-Burma

Petroleum Corporation Limited, the sale at the stage when such dealers make sale of motor spirit or diesel oil to a dealer other than the said dealers for the first time in the State of Uttar Pradesh ; and

(*b*) in case of any other dealer who has not purchased the said goods from any of the dealers referred to by name in clause (*a*) of this explanation the sale at the stage at which such dealer sells motor spirit or diesel oil for the first time in the State of Uttar Pradesh."

U.P. Ordinance no. 16 of 1988

Repeal and saving

3. The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

प्रदेश
ईया
16
1988

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 213 सा० (विधा०)-(3871)-1989-850 (मैके०)